रजिस्ट्री सं.डीएल—(एन)04/0007/2003—20 REGISTERED No.- DL—(N)04/0007/2003—20

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-12122020-223666
CG-DL-W-12122020-223666
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 12—दिसम्बर 18, 2020 (अग्रहायण 21, 1942)
No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 12—DECEMBER 18, 2020 (AGRAHAYANA 21, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

श्रम और रोजगार मंत्रालय
(कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2020

सं. : ए-12/11/1/2014-चि.-VI(डीटी)—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (परा-चिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे डेंटल हाइजीनिस्ट के पद से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में डेंटल हाइजीनिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (डेंटल हाइजीनिस्ट), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता- अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए होना चाहिएः—

   (क) भारत का नागरिक; अथवा

   (ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में लेवल—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. शारीरिक स्वस्थता :—

(1) अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य हो तथा वह किसी भी ऐसे शारीरिक विकार से मुक्त हो जिससे सेवा में एक अधिकारी/कर्मचारी के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने की आशंका हो।

(2) अभ्यर्थी जो महानिदेशक द्वारा निर्धारित इस प्रकार की शारीरिक परीक्षा के पश्चात इस विनियम के खंड (1) की आवश्यकता को संतोषजनक रूप से पूर्ण करता नहीं पाया जाता है, तो नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी : शारीरिक स्वस्थता तथा अभ्यर्थी की परीक्षा कर उसे नियुक्ति हेतु शारीरिक रूप से स्वस्थ घोषित करने के लिए सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों हेतु मानदंड केंद्रीय सरकार के अधीन तदनुरूपी नियुक्ति के समान ही होगा।

6. निरर्हता— ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह करने का करार किया है, जिसका विवाहिती जीवित है; अथवा

(ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है अथवा विवाह करने का करार किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।

7. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति—जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं।

8. व्यावृत्ति—इन विनियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित है:—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती होने वालों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
डेंटल हाइजीनिस्ट।	10*(2020) *कार्यभार के आधार पर भिन्नता के अध्यधीन।	समूह 'ख', गैर-अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में लेवल-6 (35,400-1,12,400 रुपये)।	लागू नहीं।	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनीय)। टिप्पणी: आयु-सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा विज्ञापित होगी।

सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त किए जाने वालों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा है तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
अनिवार्य अर्हता: (क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से एक विषय के रूप में जीव-विज्ञान के साथ 10+2 अथवा इंटरमीडिएट; (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डेंटल हाइजीनिस्ट में डिप्लोमा जो कि भारतीय दंत्य परिषद् द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त हो; (ख) दंत्य परिषद से डेंटल हाइजिनिस्ट के रूप में पंजीकृत; तथा (ग) किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल से डेंटल हाइजीनिस्ट के रूप में दो साल का अनुभव। टिप्पणी-1: यदि अभ्यर्थी भिन्न प्रकार से सुअर्ह है, तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अर्हता शिथिलनीय है। टिप्पणी-2: यदि चयन के किसी भी चरण में संघ लोक सेवा आयोग की राय है कि आवश्यक अनुभव प्राप्त अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति समुदायों से अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या, उनकी आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है, इनसे संबंधित मामले लेखबद्ध करके, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर अनुभव संबंधित अर्हता(एं) योग्य है।	लागू नहीं।	दो वर्ष। टिप्पणी: परिवीक्षा के सफल समापन के भाग के रूप में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा तैयार किए गए पद के कर्तव्यों के क्षेत्र में अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण।	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पणी: पदधारी द्वारा एक वर्ष अथवा अधिक की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर बाहर होने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययनार्थ छुट्टी अथवा अन्य किसी परिस्थिति के अंतर्गत रिक्ति केंद्रीय सरकार के अधिकारी से प्रतिनियुक्ति पर भरी जाएगी। (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित। (ii) मूल संवर्ग या विभाग में लेवल-5 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात छह वर्ष की सेवा। (ख) कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती वालों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा अनुभव हो। (समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होनी होगी)।

पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना है	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है तो उसकी संरचना क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं।	समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :— (1) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

	(2) निदेशक या संयुक्त निदेशक (चिकित्सा प्रशासन), मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य (3) निदेशक या संयुक्त निदेशक या उप निदेशक (स्थापना-1, मुख्यालय), कर्मचारी राज्य बीमा निगम —सदस्य	

अनुराधा प्रसाद, आई.डी.ए.एस

महानिदेशक

क.रा.बी.नि. (मु.)

————————

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
(EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the19th October 2020

No. A-12/11/1/2014-Med.-VI (DT).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (3) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation (Para Medical post) Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the post of Dental Hygienist, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Dental Hygienist in Employees' State Insurance Corporation, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation (Dental Hygienist) Recruitment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Nationality. - A candidate for appointment must be: -

   (a) a Citizen of India; or

   (b) he/she must belong to such categories of persons as may from time to time, be notified in this behalf by the Central Government in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Physical fitness. - (1) A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer or employee in the service.

   (2) A candidate who after such physical examination as the Director General may prescribe is found not to satisfy the requirement of clause (1) of this regulation will not be appointed.

   Note: The standard of physical fitness and the competent medical authorities to examine and declare a candidate physically fit for appointment, will be same as for corresponding appointment under the Central Government.

6. Disqualification. - No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

7. Power to relax. - Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing and with the prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.

8. Savings. - Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dental Hygienist.	10*(2020) *subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-Ministerial.	Level 6 in the pay matrix. (Rs. 35,400 - 1,12,400).	Not applicable.	Not exceeding Thirty years. (Relaxable for employees of Employees' State Insurance Corporation and Government servants upto five years in

					accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note: The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by Union Public Service Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation/ absorption to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Essential Qualification: (A) 10+2 or Intermediate with Biology as a subject from a recognised board or Institute; (B) Diploma in Dental Hygienist, duly recognized by Dental Council of India, from a recognised University or Institute; (C) registered with Dental Council as Dental Hygienist; and (D) Two years Experience as Dental Hygienist from a recognized Hospital. Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates otherwise well qualified. Note-2: The qualification(s) regarding experience is or are relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of Selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable.	Two years. Note: Mandatory induction training in the field of duties of the post, as devised by Employees' State Insurance Corporation as part of successful completion of probation.	By direct recruitment. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officer of Central Government: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' service in level-5 rendered after appointment thereto on a regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (7). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application).	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: — 1. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation —Chairman; 2. Director or Joint Director (Medical Administration), Headquarter, Employees' State Insurance Corporation. — Member; 3. Director or Joint Director or Dy. Director, (Establishment-1, Headquarter), Employees' State Insurance Corporation — Member.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

ANURADHA PRASAD
Director General

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली–110054 द्वारा ई–प्रकाशित
UPLOADED BY GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI-110002
AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054

SUBIR NARAYAN GARAI
Digitally signed by SUBIR NARAYAN GARAI
Date: 2020.12.12 10:01:33 +05'30'